

18/12/24

प्रा. पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी आधीवक्ता अनुपस्थित। वकील वादी ने प्रा. प. 023 R3 जा. दि. में अंकित लघु को दिसाते हुए कथन किया कि दोनों पक्षों से वादग्रस्त स्थान पर कोई विवाद नहीं है। हम पक्षाकार प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।

हमारे विद्वान आधीवक्ता वादियों को सुना। वाद वर्तित भूमि पर उभयपक्षों के मध्य मौक पर कोई विवाद नहीं है तथा प्रा. प. 022 R3 जा. दि. में अंकित अनुसार पक्षाकार कोई कार्यवाही प्रकरण में नहीं करना चाहते हैं। प्रा. प. 022 R3 जा. दि. पर वादी की पहचान आधीवक्ता वादी द्वारा की गई।

अतः वादी के निवेदन पर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर रूक कि जाती है।

पूजावती फंसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर से। निर्णय अपने न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर
जिला सलूमबर